


बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

संख्या-3/सी०एस०/एम०-501/2010..... 661 / पटना-15, दिनांक- 20 मई, 2011


भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री रामाधार सिंह
दिनांक-19.05.2011 के प्रभाव से राज्य के मंत्री नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रविकान्त)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010..... 661 पटना-15, दिनांक 20 मई, 2011
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री
के प्रध्वन सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान
सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रविकान्त)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010..... 661 पटना-15, दिनांक 20 मई, 2011
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, विकास भवन,
विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010..... 661 पटना-15, दिनांक 20 मई, 2011
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ
प्रेषित।


(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव